an>

Title: Need to permit operation of stone crushers in Yamunanagar district of Haryana.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र अम्बाला के अंतर्गत यमुनानगर जिला में खीजराबाद क्षेत्र में बंद पड़े स्टोन क्रशर जोन की ओर दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में हजारों लोगों ने सैंकड़ों करोड़ रुपए का निवेश करके स्टोन क्रशर लगाए थे, जिनसे इस क्षेत्र के कई हजार लोगों को रोजगार भी मिल रहा था, परन्तु हरियाणा सरकार ने पर्यावरण सहित अन्य कई कारणों से इनको बंद कर दिया, जिससे इनके सामने अपनी आजीविका की समस्या खड़ी हो गई है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश से नियम विरूद्ध आज भी हरियाणा में रेत व बजरी का आवागमन हो रहा है। आज राज्य में सस्ती दरों पर रेत व बजरी न मिलने के कारण भवन निर्माण सामग्री की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। आज राज्य में रियल एस्टेट व सड़क निर्माण का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सभी खनन नियमों व पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए राज्य में खनन की इजाजत दी जाए ताकि सड़क निर्माण व भवन निर्माण क्षेत्र में गति आए व बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार मिले तथा जिन कारोबारियों ने इस क्षेत्र में निवेश किया है, उनकी पूंजी भी डूबने का जोखिम न हो।